उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-17/2023/733/एक-1-2023-1-1099/34/2023-रा0-1
लखनऊः दिनांकः 03 अगस्त, 2023

कार्यालय ज्ञाप (संशोधन)

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-89 की उपधारा-(4) (यथासंशोधित) द्वारा विहित सीमा 5.0586हे0 (12.50 एकड़) से अधिक भूमि अर्जन अथवा क्रय किए जाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु शासनादेश संख्या-746/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के साथ संलग्न प्रारूप संख्या-1 बिन्दु-क(9) एवं (ख)(18) में निर्धारित तालिका को क्रमशः निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः-

शासनादेश दिनांक 03.06.2016 के साथ संलग्न प्रारूप संख्या-1 बिन्दु-क(9)

वर्तमान प्राविधान

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हे0 में	खातेदारों की श्रेणी व जाति जिनसे भूमि क्रय की जानी है।	खातेदार का नाम व पता
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रतिस्थापित प्राविधान

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/सटा हुआ ग्राम	क्षेत्रफल हे0 में
1	2	3	4	5

शासनादेश दिनांक 03.06.2016 के साथ संलग्न प्रारूप संख्या-1 बिन्दु-ख(18)

वर्तमान प्राविधान

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हे0 में	खातेदारों की भौमिक श्रेणी, जिसकी जोत भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है।	खातेदार का नाम व पता
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रतिस्थापित प्राविधान

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/सटा हुआ ग्राम	क्षेत्रफल हे0 में
1	2	3	4	5

उक्त शासनादेश दिनांक 03.06.2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

सुधीर गर्ग
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

Bhartiyashashanadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।